UPKU100050672026

न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1324/2026

सरकार बनाम सन्नी

जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

03.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **सन्नी पुत्र धर्मेन्द्र** की ओर से मु०अप०सं०–217/2026, अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(3), 333, 324(4) बी०एन०एस०, थाना–**हाटा**, जिला–कुशीनगर में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध माजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सन्नी पुत्र धर्मेन्द्र** की ओर से मु०अप०सं०–217/2026, अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(3), 333, 324(4) बी०एन०एस०, थाना–**हाटा**, जिला–कुशीनगर में अंकन 25,000/– रूपये के एक सक्षम प्रतिभू एवं इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर जमानत प्रदान की जाती है–

1– अभियुक्त दौरान विवेचना समस्त कार्यवाही में विवेचक का सहयोग करेगा।

2– अभियुक्त दौरान विवेचना किसी भी साक्षी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

(श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कसया, कुशीनगर स्थान।

Digitally signed by Pratibha Bhagyashri
Date: 2026.06.03 16:55:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court